**प्र.पी.-297**

कथन
(धारा 161 द0प्र0सं0)

थाना–ईओडब्ल्यू, रायपुर
अपराध कमांक–09/15

जिला–रायपुर।
धारा–धारा–109, 120(बी) भा.द.वि., 13(1) (डी)
सहपठित धारा 13(2) भ्र.नि.अ. 1988

**जीत राम यादव पिता स्व. श्री राम भरोस यादव उम्र 55 वर्ष वरिष्ठ सहायक छ.गराज्य नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर निवास शक्ति नगर, गली नं. 3, आरोग्य अस्पताल के सामने रायपुर छ0ग0।**

——000——

पुछनें पर बताया कि, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूँ और मूलतः ग्राम दर्री थाना बिलाईगढ़ जिला बलौदाबाजार का रहने वाला हूँ। हम लोग 3 भाई 1 बहन हैं। बड़ा भाई स्व. सन्तु राम यादव है जिसका वर्ष 2007 में स्वर्गवास हो गया है। छोटा भाई शिवदयाल यादव है जो रायगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम के कार्यालय में आकस्मिक कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। बड़ी बहन शांति बाई है। मेरी शादी कटगी डेराडीह थाना बिलाईगढ़ के रामबाई से हुई है। मेरी 4 बेटियॉ गीता, संगीता, संध्या, वंदना है। गीता और संगीता की शादी हो चुकी है। संध्या अभी बी.काम (अंतिम) में व वंदना बी.एस.सी.(पूर्व) में पढ़ रही है। गांव में मेरा 06 एकड़ पैतृक खेती भूमि है, जिसे अधिया में देकर फसल को बेंचकर सभी भाई आपस में बांट लेते हैं। सन् 2002 में शक्ति नगर रायपुर में नजूल भूमि को श्रीनंद कुमार नायक से 71,500 रूपये में खरीदकर उसमें बने कच्चे मकान को तोड़कर उसी समय दो–मंजिला मकान बनाया हूँ। जमीन का क्षेत्रफल 750 वर्ग फिट है। इसको बनाने में करीब 2 लाख खर्च हुआ था। मेरे पास गांव के पैतृक खेती व नजूल मे खरीदे गए मकान के अतिरिक्त और कोई अचल संपत्ति नहीं है। मेरा मासिक वेतन 36,000/– है। सन् 2014 में लड़की की शादी में कर्ज हो जाने से 2,50,000/– कार्यालय की साख समिति से लोन लिया हूँ।

पूछनें पर बताया कि, सन् 1986 में नागरिक आपूर्ति निगम में मैं कनिष्ट सहायक के पद पर जगदलपुर जिला कार्यालय में मेरी नियुक्ति हुई। 1995 में मेरी पदोन्नति सहायक के पद पर हुई थी तथा सन् 2002 तक कार्यरत रहा। वहॉ से ट्रांसफर पश्चात् नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में कार्यरत हूँ। सन् 2012 में वरिष्ठ सहायक के पद पर पदोन्नति मिली। नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर में प्रबंध संचालक श्री अनिल टूटेजा हैं। श्री एम.एन.प्रसाद राव महाप्रबंधक(उपार्जन, परिवहन), श्री शिवशंकर भट्ट, प्रबंधक(सार्वजनिक वितरण प्रणाली/क्लैम) है। श्री शिवशंकर भट्ट के अधीन श्री सत्यनारायण सूर्यवंशी, उप प्रबंधक, श्री त्रिनाथ रेड्डी, सहायक लेखाधिकारी, श्री अरविंद ध्रुव, स्टेनो टायपिस्ट, श्री ऋषिकांत बारिक, स्टेनो टायपिस्ट, सुनील कुमार साहू, स्टेनो टायपिस्ट/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर एवं मैं स्वयं वरिष्ठ सहायक के रूप में, व रश्मि अग्रवाल कनिष्ट सहायक के रूप में कार्यरत हैं।

पूछने पर बताया कि, श्री शिवशंकर भट्ट का काम वर्तमान में नमक, शक्कर, चॉवल, गेहूं का आबंटन, उपलब्धता, वितरण तथा क्लैम से संबंधित काम है। इसके अतिरिक्त प्रबंध संचालक श्री अनिल टूटेजा के निर्देश एवं सहमति से उपार्जन एवं परिवहन का कार्य भी देख रहे हैं। जो कि मूलतः श्री एम.एन.प्रसाद राव महाप्रबंधक(उपार्जन, परिवहन) का कार्य है। वरिष्ठ सहायक के रूप में मेरा कार्य श्री शिवशंकर भट्ट व सत्यनारायण सूर्यवंशी द्वारा दिए गए खाद्यान्न आबंटन, वितरण, उपलब्धता एवं परिवहन का नस्ती प्रस्तुत कर समस्त जिलों में व्यवस्था बनाए रखना है ताकि समय पर उचित मूल्य दुकानों में खाद्यान्न का भण्डारण समय अनुसार पूर्ण किया जा सके।

पूछनें पर बताया कि, दिनांक 12.02.2015 को मेरे मकान की तलाशी पर 36,06,000/– रूपये एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा बरामद किया गया है। वह रकम श्री शिवशंकर भट्ट द्वारा करीब 02 माह पूर्व अपने कार्यालय के चेम्बर में बुलाकर मुझे अपने घर में रखने के लिए दिया गया था। यह वैध शासकीय रकम नहीं है बल्कि प्रत्येक जिलो के राईस मीलरों से चॉवल की गुणवत्ता में हेरा फेरी कर उसके एवज में क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक द्वारा वसूली किया गया रकम है। सभी जिलों से प्रतिमाह कमीशन के रकम को मुख्यालय में लाकर प्रबंधक श्री शिवशंकर भट्ट को या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को दिया जाता है। रकम इकट्ठा होने के पश्चात् कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को वितरित किया जाता है। मेरे द्वारा रकम रखने का विरोध करने पर रकम रखने के लिए दबाव डाला जाता था। वरिष्ठ अधिकारी होने के कारण उनके भय से मैं रकम रख लेता था।

पूछनें पर बताया कि, इसी प्रकार से और भी कई बार धमतरी के जिला प्रबंधक टी.डी.हरचंदानी, बालोद के जिला प्रबंधक डी.पी.तिवारी, सूरजपुर के जिला प्रबंधक आर.एन.सिंह, गरियाबंद के जिला प्रबंधक मोतीलाल साहू द्वारा लाया गया रकम को श्री शिवशंकर भट्ट के कहने पर मुझे दिया गया था। उक्त रकम को अपने घर में रखकर दूसरे दिन अरविंद ध्रुव व त्रिनाथ रेड्डी को श्री शिवशंकर भट्ट के कहने पर दे दिया, जो प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के निज सहायक गिरिश शर्मा को दे देता था। पूछने पर बताया कि, इसी प्रकर अन्य जिलों के प्रबंधक भी वसूली की रकम सीधे शिवशंकर भट्ट के कहने पर संबंधित स्टॉफ को दिया करते थे।

पूछनें पर बताया कि, राईस मीलरों द्वारा शासन द्वारा निर्धारित गुणवत्ता का चावल न देकर कनकी के रूप में छोटे चावल, खराब चावल दिया जाता है। जिसके एवज में रिश्वत के रूप में जिले के क्वालिटी इंस्पेक्टर एवं जिला प्रबंधक द्वारा रकम वसूली की जाती है, जो सभी जिलों में एकत्र कर मुख्यालय रायपुर में श्री शिवशंकर भट्ट के पास या उनके द्वारा निर्धारित व्यक्ति के पास जमा कर दिया जाता है।

पूछनें पर बताया कि, दिनांक 12.02.2015 को मेरे पास से जप्त रकम के बंडलों के बीच "नागरिक आपूर्ति निगम, जमा हुआ चावल का विवरण लिखा एक पेज जिसमें जिले का नाम धमतरी दिनांक 01.04.2014 से 30.04.2014" तक लिखा बरामद हुआ है, जिसमें "कुल वजन 41586.24 व पेन से ×4/166344.96 तथा HO 167000/– लिखा है, इसका तात्पर्य

उपार्जन केन्द्र कुरूद सिहावा, एसडब्ल्यूसी0 धमतरी में जमा हुये, चॉवल के कुल वजन का ×4 मुख्यालय में रकम 1,67,000/– भेजा गया है, जो कि चॉवल की गुणवत्ता ठीक न होने के एवज में कमीशन के रूप में दिया गया रकम है। इसी प्रकार एक पिले रंग का लिफाफा, जिसके ऊपर पेन से लिखा "धमतरी अक्टू 14 928595.68–2171.74 = 90724.94×4 = 363.056 व नीचे 3.63" लिखा है। इसका मतलब 3,63,000/– अवैध रकम मुख्यालय को भेजा गया। यह वसूली कई साल से हो रहा है।

पूछने पर बताया कि श्री शिवशंकर भट्ट के विरूद्ध कुछ वर्ष पूर्व एन्टी करप्शन ब्यूरो रायपुर द्वारा परिवहनकर्ता से रंगे हाथों रकम लेते हुए पकड़ाने पर केश बनाया गया था, जिसमें वह संस्पेंड भी हुए थे और बाद में बहाल होकर मुख्यालय में ही कार्यरत हैं। श्री शिवशंकर भट्ट कहते थे कि ऊपर वाले साहब लोगों को पैसा देना पड़ता है, खाना पिलाना पड़ता है।

दिनांक 18.02.2015

ROAC, before me,

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक/विवेचनाधिकारी
ई0ओ0डब्ल्यू0 रायपुर